

संपादकीय

न्यायिक व्यवस्था भी गहरे तक प्रभावित

पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली कोविड-19 वैश्विक महामारी ने विद्युत सुविधाओं से लेकर प्रशासन और आम जागरिकों को अपने अद्यूत इंश से आँखा नहीं छोड़ा है। देश की न्यायपालिका भी इसका अपवाह नहीं रही। इस महामारी की जगह से शीर्ष अदालत से लेकर नियंत्री अदालतों और न्यायिक अधिकारियों का काम बुरी तरह प्रभावित रहा। न्यायपालिका ने अद्यूत मुकदमों की वीडियो कानफोरेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की और जल्दी को अनेक मामलों में राहे देने का प्रयास किया, परंतु इसके बावजूद लंबी लेटिंग में बहुत जाहा बूझ द्दूर हुई है। न्यायालय ने हालांकि कोरोना लंकरण के द्वारा नियंत्रित संख्या में मुकदमों की चुनवाई करते हुए महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिये शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण विवाद पर अपना फैसला सुना दिया है। यह दीवार सरकार ने इस फैसले के एक हिस्से पर व्यायालय से पुनर्विचार का अनुरोध किया है। शीर्ष अदालत के तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी यहां नागरिकता संशोधन कानून की सैवेधिकता, अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को खदम करने की सैवेधिकता को चुनौती देने वाली न्यायिकाओं के साथ ही धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश, मरिज़दों में महिलाओं के प्रवेश और दाढ़ी समुदाय में महिलाओं का खतला करने जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई कारबंद तरीके से आगे नहीं बढ़ सकी।

शीर्ष अदालत के साथ ही उच्च व्यायालयों से कोरोना का काम दौरान कामगारों के पलायन से उत्पन्न व्यथित और इस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश के अनेक राज्यों में ऑक्सीजन और दवाओं के संकट का स्वरूप। संज्ञान विद्या और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को उल्लंघन जिम्मेदारियों से आगाह किया। न्यायपालिका की इस सक्रियता के बावजूद कोरोना काल से प्रभावित वकीलों ने बाल काउंसिल ऑफ इंडिया और अपने राज्यों के बार संगठनों से आर्थिक मदद की गुहार भी की है। इन संगठनों ने उच्चतम व्यायालय में न्यायिक दायर की है। दूसरी ओर, कोरोना के काहर ने व्यायालिक का सामान्य कामकाज प्रभावित किया है। इस व्यथित से निपटने के लिये हालांकि उच्चतम व्यायालय और उच्च व्यायालयों ने ऑक्लाइन फाइलिंग व्यवस्था सुरक्षा की लेनदेने का प्रयत्न किया है। शीर्ष अदालत और सरकार के बीच व्यायालीयों के लिये इस सुविधा का लाभ उठा पाना संभव नहीं है।

फिलहाल इस संकट का अंत नजर नहीं आ रहा है और यही बजह है कि उच्चतम व्यायालय से लेकर नियंत्री अदालतों तक में लंबित मुकदमों की संख्या ज्यादा हुआ है। ऐसा नताना है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और व्यायालिकों को व्यायालीयों और न्यायिक अधिकारियों के दिलहाल इस संकट के अंत नजर नहीं आ रहा है और यही बजह है कि उच्चतम व्यायालय से लेकर नियंत्री अदालतों तक में लंबित मुकदमों की संख्या इनका हुआ है। ऐसा नताना है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और व्यायालिकों को व्यायालीयों और न्यायिक अधिकारियों के दिलहाल इस संकट के अंत नजर नहीं आ रहा है।

प्रधान व्यायालीय एनवी रमण ने हाल ही में यह जानकारी दी है कि कोरोना संक्रमण की घटने में आवे के कारण उच्च व्यायालयों के कम से कम तीन व्यायालीय और 34 व्यायिक अधिकारियों की मृत्यु हो चुकी है। इस दौरान उच्चतम व्यायालय के एक व्यायालीय एमप्रम जानकारी के अनुसार इस समय देश की अदालतों में 4,43,24,488 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें उच्चतम व्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या 67,898 और उच्च व्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या 58,05,006 है जबकि नियंत्री अदालतों में 3,84,51,584 मुकदमे लंबित हैं। इनी तरह, व्यायालिकों में व्यायालीयों और न्यायिक अधिकारियों के बड़ी संख्या में पद रिट हैं। शीर्ष अदालत और सरकार के बीच व्यायालीयों की नियुक्ति यों से संबंधित ज्ञापन को लेकर यह खींचानी का नतीजा है कि उच्चतम व्यायालय में व्यायालीयों के स्कीमी 34 पदों में से जात और उच्च व्यायालीयों में स्कीमी 1080 पदों में से 420 पद रिट हैं। इसी तरह, अधीनस्त अदालतों में स्कीमी 24,247 पदों में से अभी भी 4,928 पद रिट हैं। यह स्थिति व्यायालीयों और व्यायिक अधिकारियों तथा अदालत के कर्मचारियों के कोरोना संक्रमण से प्रभावित होने की जगह से ज्यादा गंभीर हो गयी है।

प्रधान व्यायालीय एनवी रमण ने हाल ही में यह जानकारी दी है कि कोरोना संक्रमण की घटने में आवे के कारण उच्च व्यायालयों के कम से कम तीन व्यायालीय और 34 व्यायिक अधिकारियों की मृत्यु हो चुकी है। इस दौरान उच्चतम व्यायालय के एक व्यायालीय एमप्रम जानकारी के अनुसार इस समय देश की रिजिस्ट्री के करीब 800 कर्मचारी भी इस संक्रमण के लियारहा हुए। इनमें उच्चतम व्यायालय के कम से कम छह रिस्ट्रेटर और 10 अधिकारी रिस्ट्रेटर भी शामिल रहे हैं। उच्चतम व्यायालय के व्यायालीय धनवक्तव्य वाई चन्डूचूड़ भी तामाम साक्षात्कारों के बावजूद इसकी घटने में आ गये। -अनूप भट्टाचार्य

विद्या बालन अभिनीत 'शेरनी' अगले महीने रिलीज करेगा

अभिनेत्री प्राइम वीडियो ने घोषणा की है कि डाइरेक्ट-टू-स्ट्रीम हिंदी अभिनेत्री ओरिजिनल स्ट्रीम व्यापारी हाशरेनी का उनकी स्टीमिंग सेवा पर अगले महीने रिलैस करी प्रयार किया जाएगा। शानदार फिल्मेंसकर अमासुकर द्वारा निर्मित एवं एबडेंटिया इंटरेनेमेंट पर्सनल निर्मित इस समय व्यायालीयों के बीच हो रही व्यथित है। इस दौरान उच्चतम व्यायालय के एक व्यायालीय एमप्रम जानकारी के अनुसार इस समय व्यायालयों की रिजिस्ट्री के करीब 800 कर्मचारी भी इस संक्रमण के लियारहा हुए। इनमें उच्चतम व्यायालय के कम से कम छह रिस्ट्रेटर और 10 अधिकारी रिस्ट्रेटर भी शामिल रहे हैं। उच्चतम व्यायालय के व्यायालीय धनवक्तव्य वाई चन्डूचूड़ भी तामाम साक्षात्कारों के बावजूद इसकी घटने में आ गये।

-अनूप भट्टाचार्य

बायोकॉन की गलती ने बढ़ाई परेशानी, सेबी ने लगया 14 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली। बाजार नियमक सेबी ने बायोकॉन लि. और उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति पर बाजार नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 14 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने कंपनी द्वारा नामित व्यक्ति, नरेंद्र चिरमुले पर पांच लाख रुपये के बालाया गया था।

चिरमुले पर जुर्माना

समाप्त

के

ये

के

के